न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 16/2019/251–ए आरटीए

1. छिगन सिंह पुत्र महताब सिंह जाति राजपूत निवासी अभयपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. धन सिंह पुत्र महताब सिंह जाति राजपूत निवासी अभयपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थीगण

ब ना म

1. नवल सिंह पुत्र बलवंत सिंह
2. गुलाब कंवर बेवा बागसिंह
3. झबर सिंह
4. नंद सिंह
5. मगन कंवर बेवा भंवरसिंह
6. तेज सिंह
7. शंकर सिंह
8. प्रहलाद सिंह — पुत्रगण भंवरसिंह
9. रघुवीर सिंह
10. सज्जन कंवर
11. प्रेम कंवर — पुत्रियां भंवरसिंह
12. सरे कंवर
13. बजरंग सिंह
14. भैरू सिंह — पुत्रगण गोपालसिंह
15. ओम कंवर पुत्री गोपाल सिंह
16. कमला कंवर
17. रतन कंवर — पुत्रियां गोपालसिंह
18. बसू कंवर
19. SBI बैंक शाखा पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबंधक।
20. PNB बैंक शाखा पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबंधक
21. पटवारी, पटवार हल्का अभयपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
22. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री आनन्द राड़ वकील प्रार्थीगण की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

2. श्री रेखराज पारीक वकील अप्रार्थी संख्या 1, 3, 12, 13 16 ता 18 की ओर से तथा शेष अप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

नि र्ण य दिनांक – 17.03.2020

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार सें है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 770 रकबा 0.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 771/1 रकबा 0.97 हैक्टर, खसरा नम्बर 771/2 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 772 रकबा 1.000 हैक्टर वाके ग्राम अभयपुरा पटवार हल्का अभयपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें आवागमन हेतु अप्रार्थीगणों की भूमि खसरा नम्बर 778 रकबा 0.03 हैक्टर की दक्षिणी सीमा व खसरा नम्बर 779 रकबा 0.32 हैक्टर की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे पूर्व सें पश्चिम 5 मीटर चौड़ा व 100 मीटर लम्बा एवं खसरा नम्बर 780/1 रकबा 0.42 हैक्टर की दक्षिणी सीमा व खसरा नम्बर 780/2 रकबा 0.30 हैक्टर की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 5 मीटर चौड़ा व 70 मीटर लम्बा एवं इससें आगे पश्चिम दिशा की ओर मुख्य आम रास्ता अभयपुरा सें पलसाना में मिलता हुआ रास्ता जिसका कुल क्षैत्रफल 850 वर्गमीटर हैक्टर चाहते है। उक्त आवेदित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हे तथा उक्त वर्णित कृषि भूमियां एक ही पटवारी हल्का में अवस्थित है। उक्त वर्णित आवेदित रास्ते की प्रार्थीगण को पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीगण अपने खातेदारी के उपयोग–उपभोग करने सें पूर्णतया वंचित हो जायेंगे। अतः आवेदन प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 770 रकबा 0.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 771/1 रकबा 0.97 हैक्टर, खसरा नम्बर 771/2 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 772 रकबा 1.000 हैक्टर वाके ग्राम अभयपुरा पटवार हल्का अभयपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के उपयोग–उपभोग हेतु वांछित एकमात्र रास्ता जो खसरा नम्बर 778 रकबा 0.03 हैक्टर की दक्षिणी सीमा व खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

779 रकबा 0.32 हैक्टर की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे पूर्व सें पश्चिम 5 मीटर चौड़ा व 100 मीटर लम्बा एवं खसरा नम्बर 780/1 रकबा 0.42 हैक्टर की दक्षिणी सीमा व खसरा नम्बर 780/2 रकबा 0.30 हैक्टर की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 5 मीटर चौड़ा व 70 मीटर लम्बा एवं इससें आगे पश्चिम दिशा की ओर मुख्य आम रास्ता अभयपुरा सें पलसाना में मिलता हुआ रास्ता जिसका कुल क्षैत्रफल 850 वर्गमीटर रास्ता चाहते है जो दिलवाया जावे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 वकील श्री रेखराज पारीक हाजिर आये तथा शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उपतहसीलदार पलसाना सें रास्ते संबंधी तथ्यात्मक रिपोर्ट मय डीएलसी दर संबंधी विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की गई। वकील अप्रार्थी ने आवेदन अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस की गई। आवेदन अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 251(ए) आरटीए स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 770 रकबा 0.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 771/1 रकबा 0.97 हैक्टर, खसरा नम्बर 771/2 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 772 रकबा 1.000 हैक्टर वाके ग्राम अभयपुरा पटवार हल्का अभयपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के उपयोग–उपभोग हेतु वांछित एकमात्र रास्ता जो खसरा नम्बर 778 रकबा 0.03 हैक्टर की दक्षिणी सीमा व खसरा नम्बर 779 रकबा 0.32 हैक्टर की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे पूर्व सें पश्चिम 5 मीटर चौड़ा व 100 मीटर लम्बा एवं खसरा नम्बर 780/1 रकबा 0.42 हैक्टर की दक्षिणी सीमा व

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

खसरा नम्बर 780/2 रकबा 0.30 हैक्टर की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 5 मीटर चौड़ा व 70 मीटर लम्बा एवं इससें आगे पश्चिम दिशा की ओर मुख्य आम रास्ता अभयपुरा सें पलसाना में मिलता हुआ रास्ता जिसका कुल क्षैत्रफल 850 वर्गमीटर है उपलब्ध करवाया जावे। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस उपतहसीलदार पलसाना की रिपोर्ट पर आपत्ति व्यक्त करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए खारिज फरमाया जाने हेतु आग्रह किया। उपतहसीलदार लोसल की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें अंकन किया गया कि भू अभिलेख निरीक्षक पलसाना सें जांच करवाई गई जिसके अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है अतः निकटतम दूरी का ध्यान रखते हुए पलसाना सें अभयपुरा जाने वाले कटानी रास्ता खसरा नम्बर 797 सें चालू होकर खसरा नम्बर 780/2, 779 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 5 मीटर चौड़ा रास्ता संलग्न नक्शानुसार दिया जाना प्रस्तावित है रास्ते में जाने वाली भूमि में खसरा नम्बर 780/2 में सें रकबा 0.026 हैक्टर, खसरा नम्बर 779 में सें रकबा 0.042 हैक्टर, खसरा नम्बर 771/1 में सें रकबा 0.022 हैक्टर अर्थात कुल 0.090 हैक्टर है। जिसकी डीएलसी दर 282850 रूपये प्रति हैक्टर सें रकबा 0.090 हैक्टर की मालियत 25457 रूपये बनती है। चूंकि आरटीए की धारा 251–ए की मंशा वैकल्पिक रास्ते के अभाव में प्रार्थी को निकटतम दूरी का रास्ता उपलब्ध करवाया जाना है तथा उपतहसीलदार पलसाना की रिपोर्ट द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ते का अभाव बताया गया है। अतः **प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 770 रकबा 0.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 771/1 रकबा 0.97 हैक्टर, खसरा नम्बर 771/2 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 772 रकबा 1.000 हैक्टर में आवागमन व उपयोग–उपभोग हेतु उपतहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार निकटतम कटानी रास्ते खसरा नम्बर**

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

797 सें शुरू होकर खसरा नम्बर 780/2, 779 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे व खसरा नम्बर 771/1 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 5 मीटर चौड़े रास्ते को संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता के रूप में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उपतहसीलदार पलसाना सें प्राप्त डीएलसी दर के मुताबिक उक्त रास्ते की डीएलसी दर की दुगुनी दर सें कीमत 50,914 रूपये अप्रार्थी खातेदारान को दिया जाना है। अतः तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त राशि प्रार्थी सें प्राप्त कर राजकोष में जमा होने के पश्चात उक्त रास्ते को मौके पर नपती की जाकर सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावे। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पटवारी हल्का के साथ मौके पर जाकर उक्त मौके पर निशादेही की जाकर आवश्यक होने पर पुलिस इमदाद ली जाकर दर्ज गैरमुमकिन रास्ता सिवायचक राज. सरकार को चालू करवाये।

यह आदेश आज दिनांक 17.03.2020 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner